नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी

मैनुअल–4

विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0ई0टी0) नई दिल्ली द्वारा निर्देशित , राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) तथा राष्ट्रीय शिशिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों का पालन किया जाता है। यह मानक एन0सी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त व्यवसायों के सम्बन्ध में भूमि, भवन , कर्मचारियों की संख्या , साज–सज्जा की आवश्यकता आदि तथा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में है। इनके विस्तृत विवरण महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0जी0ई0टी0) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रकाशित प्रशिक्षण नियमावली तथा विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रमों एवं भारत सरकार के शिशिक्षु अधिनियम 1961 में उपलब्ध है।